महिला नेतृत्व और अधिकारिता विषय पर होने वाले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की भारतीय महिला नेटवर्क (आईडब्ल्यूएन), दिल्ली शाखा के शुभारंभ के अवसर पर माननीय अध्यक्ष, लोक सभा का भाषण

यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे 'महिला नेतृत्व और अधिकारिता' विषय पर भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करने और भारतीय उद्योग परिसंघ की भारतीय महिला नेटवर्क' से संबंधित दिल्ली शाखा के शुभारंभ के अवसर पर आमंत्रित किया गया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि महिला व्यवसायियों एवं उद्यमियों के लिए एक नेटवर्क चैनल प्रदान करने की भारतीय उद्योग परिसंघ की पहल से एक वर्ष के भीतर ही यह अपनी सदस्य संख्या बढ़ाकर पूरे दक्षिण भारत में सेवा प्रदान कर रहा है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि इसने ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनसे अनेक महिलाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ा है।

मित्रो, बीसवीं शताब्दी में उन महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर सुविचारित प्रयास किए गए हैं जिन्हें अनेक अपवादों के बावजूद सामान्यतः समाज का एक कमजोर वर्ग समझा जाता है। यद्यपि, अन्य देशों की महिलाओं की स्थिति की तुलना में भारतीय महिलाओं की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है तथापि, इनकी कुछ पृथक विशेषताएं हैं। भारतीय समाज में बहुत मजबूत परम्पराएं हैं जिन्हें महिलाएं अपने जीवन में अपनाकर उन्हें बनाए रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परन्तु, यदि विशेषतः संसाधनों तक उनकी पहुंच और नियंत्रण की बात की जाए तो महिलाएं हमारे समाज की सर्वाधिक वंचित और उत्पीड़ित वर्ग रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अशिक्षित तथा अर्ध-शिक्षित महिलाओं की समस्याएं और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। वर्ष 2011 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संकलित लिंग-आधारित अद्यतन आंकड़ों से कार्य के अवसरों में लिंग असमानता का स्पष्ट पता लगता है। आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 53.26 प्रतिशत पुरुष कार्यबल की तुलना में महिला कार्यबल की भागीदारी दर 25.51 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दर कुछ अधिक अर्थात् 30.02 प्रतिशत है जबकि पुरूषों की भागीदारी दर 53.03 प्रतिशत है। इसकी तुलना में शहरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दर 15 प्रतिशत तथा पुरूषों की भागीदारी दर 53.76 प्रतिशत है।

भारत सरकार महिलाओं के कल्याण, उत्थान और उन्हें शक्तियां प्रदान करने हेतु अनेक उपाय कर रही है। भारत के संविधान के विभिन्न उपबंधों और विधायी हस्तक्षेपों का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के संबंध में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक असमानता तथा उन्हें शैक्षणिक एवं राजनैतिक लाभ के अवसर मिलने में आ रहे अवरोध समाप्त करने के लिए महिलाओं के पक्ष में

सकारात्मक कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कई आरंभिक उपाय भी किए हैं। इनमें महिला और बालिका केन्द्रित नीतियां, योजनाएं, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना और वर्ष 2010 में राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन की शुरूआत करना शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को अन्य कार्यों के साथ-साथ महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने तथा उन्हें प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को परामर्श देने का कार्य भी सौंपा गया है। वर्ष 2011-12 में शुरू हुए राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन का उद्देश्य वर्तमान सरकारी हस्तक्षेपों का आकलन करना तथा भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार तैयार करना है ताकि महिला केन्द्रित नीतियों के उपबंधों को वास्तविकता में बदला जा सके। इसने जिला स्तर पर 'पूर्ण शक्ति केन्द्र' के नाम से महिला केन्द्रित योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के समागम का एक मॉडल तैयार किया है।

मित्रो, मैं 2 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पर हुई राष्ट्रीय परिचर्चा की सिफारिशों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। इस चर्चा में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया तथा देश भर में संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए इस दृष्टि से समान मानक बनाने की मांग की गई। इस बात पर भी बल दिया गया कि प्रत्येक संस्थान में शिशु गृहों की स्थापना की जानी चाहिए और इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र अपनी महिला कर्मचारियों के लिए फ्लैक्सी-ऑवर्स (सुविधाजनक कार्य घंटों) की सुविधा प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

आज भारत के इतिहास में पूर्व पीढ़ियों की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं बेहतर आजीविका अर्जित कर रही हैं। व्यापार क्षेत्र में उनकी उद्यमिता बढ़ रही है, नई व्यापारिक सोच बन रही है और वे नई बुलंदियाँ छू रही हैं। वे सब भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं और भारत की उद्यमिता के परिवेश पर अत्यधिक प्रभाव डाल रही हैं। मुझे यह स्वीकार करते हुए गर्व हो रहा है कि भारत में महिला उद्यमी प्रगतिशील महिलाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं जो नए उत्साह के साथ महिला प्रतिभागियों के नए अवसरों की तलाश कर रही हैं। नगरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी महिलाएं अपने व्यापार शुरू करने का साहस और आत्मबल प्रदर्शित कर रही हैं। तथापि, इस क्षेत्र में निचले स्तर पर महिलाओं की क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा, शुरूआती युवा महिला उद्यमियों से संबंधित - चाहे वे उद्यमी शहरी क्षेत्र के हों अथवा ग्रामीण पृष्ठभूमि के - सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि उनमें से कितनी महिलाएं आगे बढ़ने के अवसरों का लाभ उठा पा रही हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो काम

करना चाहती हैं परन्तु उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिल रहा है। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें आवश्यक जानकारी, शिक्षा, ऋण, प्रशिक्षण और इस सबसे बढ़कर चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी जाए।

मित्रो, सरकार द्वारा चलाये जा रहे अनेक कार्यक्रम और संस्थानिक तंत्र के साथ-साथ औपचारिक, अर्ध-औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में बहुत सी बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाएं महिला उद्यमियों को अपना व्यापार स्थापित करने और उसे चलाने के लिए सहायता प्रदान कर रही हैं। फिर भी, नए व्यापार बिल्कुल नए रास्तों की तरह होते हैं। व्यापार में आने वाली अधिकांश बाधाएं उन्हें नए विचारों के साथ प्रारम्भ करने से संबंधित होती हैं न कि महिलाओं से संबंधित। तथापि, महिलाओं के लिए अलग मंच पर महिलाओं को करियर संबंधी सलाह लेने, अपने अनुभव साझा करने और संसाधनों का लाभ उठाने में आसानी होती है। इससे उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है और कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस परिवेश में, मेरा दृढ़ विश्वास है कि विविध क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं के नेटवर्क से निश्चय ही उनके व्यावसायिक जीवन में सामने आने वाले प्रत्येक प्रश्न पर महिलाओं की सहायता करने और एक दूसरे के प्रयासों से सीखने में बहुत मदद मिलेगी।

मुझे यह जानकर सचमुच खुशी हो रही है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का 'भारतीय महिला नेटवर्क' जिसका उद्देश्य उद्यमिता विकास पर मुख्य ध्यान देते हुए जीवन के हर क्षेत्र की महिलाओं को शामिल करना है, महिलाओं से संबंधित बहुत से अन्य मुद्दों जैसे कि कामकाज और निजी जीवन के बीच संतुलन, महिला जागरूकता, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न इत्यादि पर ध्यान दे रहा है। मुझे आशा है कि 'भारतीय महिला नेटवर्क' भी अपने उद्देश्य के अनुसार आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता, सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करके निचले स्तर से लेकर महिलाओं के बड़े वर्ग तक पहुंच बनाएगा। तथापि, यह एक मार्गदर्शक की भूमिका मानकर नेटवर्क से जुड़े लाभार्थियों की निगरानी करके और यह सुनिश्चित करके कि कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को उपेक्षा या विफलता का सामना न करना पड़े, अपनी भूमिका का और विस्तार कर सकता है।

देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने बेरोजगार युवतियों और महिलाओं को अपना स्वयं का व्यापार आरंभ करने में सहायता देने के लिए एक विशेष इंक्यूबेशन कार्यक्रम चलाया है। एनएसआईसी ने 45 प्रशिक्षण सह इंक्यूबेशन केन्द्र चलाए हैं जिनमें से भारत के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में एक-एक केन्द्र खोला गया है। पंजाब में 6 तथा उत्तर प्रदेश में 12 ऐसे केन्द्र खोले

गए हैं। एनएसआईसी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण प्रदान करना, बाजार सहायता योजना और बैंक ऋण सुविधाएं शामिल हैं।

महिला सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन के एक प्रभावी साधन के रूप में महिलाओं के वित्तीय समावेशन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने 1990 के दशक के आरंभ में 'स्व-सहायता समूहों - जो ऋण सहायता, बचत और अन्य सेवाओं के लिए एकत्र हुए लोगों का एक अनौपचारिक समूह है - को बैंकों के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम शुरू किया। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच उद्यमिता और आत्मविश्वास बढ़ाने के एक प्रभावी साधन के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड - के तत्वावधान में स्व-सहायता समूह को बैंक से जोड़ने के कार्यक्रम को अब कई वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक जोर-शोर से लागू कर रहे हैं। बाद में नाबार्ड ने स्व-सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का वित्त पोषण करने हेतु बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देने की नोडल जिम्मेदारी संभाल ली। स्व-सहायता समूहों की एक उल्लेखनीय विशेषता महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का होना है। इस समय देश के 150 पिछड़े तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत ऋण की तत्काल अदायगी पर 4 प्रतिशत वार्षिक तथा अन्य जिलों में 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर प्रभावी होगी। चालू वित्त वर्ष के केन्द्रीय बजट में, योजना को अन्य 100 जिलों के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2013 के अंत तक, कुल 1,13,042 महिला स्व-सहायता समूहों के 150 जिलों के बैंकों में बचत खाते थे जिनमें से 23,451 ऋण से जुड़े खाते थे।

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हजारों निर्धन अशिक्षित महिलाएं एक मूक क्रंति का नेतृत्व कर रही हैं। ये महिला स्वसहायता समूह मुख्यतः साड़ियां, हस्तशिल्प, खिलौने, खाद्य वस्तुं बनाने से लेकर कृषि, मत्स्यपालन और पशुपालन क्षेत्रों, सर्विस पार्लर, ऑटो गैराज, सिंचाई, डेयरी इत्यादि के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। गुजरात में लिज्जत पापड़ उद्योग और अमूल डेयरी-विश्व विख्यात उद्यमिता रोल मॉडल- महिलाओं की सफलता का प्रमाण है। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की सदस्यता 7 से बढ़कर वर्तमान में 43,000 हो गई है। इस संगठन की सफलता का श्रेय इसकी महिला सदस्यों को जाता है जिन्होंने अपनी शक्ति में अडिग विश्वास रखते हुए कई बाधाओं को पार किया। त्रि-स्तरीय संघीय ढांचे वाला डेयरी विकास का अमूल मॉडल- उन हजारों ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जाना जाता है जिन्होंने बिल्कुल निचले स्तर पर अमूल को दूध बेचकर लाभ अर्जित किया है।

मित्रो, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को सुविधा और सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड सृजित किया है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और वाणिज्यिक बैंक 40:40:20 के अनुपात में वित्त पोषित करेंगे। नाबार्ड के अतिरिक्त, इसके लिए उपलब्ध अन्य संस्थागत तंत्र सिडबी - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और आरएमके - राष्ट्रीय महिला कोष आदि हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था के रूप में की गई है जो असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को आजीविका सहायता और परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता प्रतिभूति मुक्त सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है। व्यापार संबंधी प्रशिक्षण और ऋण के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु टीआरईएडी-व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता और विकास-नामक सरकार की एक और विशेष योजना है। इसके अंतर्गत, सरकार ऋण संस्थाओं द्वारा मूल्यांकित कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करती है।

महिलाओं को और अधिक समर्थकारी माहौल प्रदान करने की दिशा में सरकार ने भारतीय महिला बैंक' की स्थापना की जिसकी पहली शाखा का उद्घाटन 19 नवम्बर, 2013 को हुआ। भारत में अपनी तरह का यह पहला ऐसा बैंक है जिसकी ग्राहक केवल महिलाएं हैं। दिसम्बर, 2013 तक भारत के बड़े महानगरों में इसकी 9 शाखाओं ने कार्य करना आरंभ कर दिया था। बैंक का कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में है। देश में स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के प्रस्तावों के अतिरिक्त बैंक, छात्राओं को रियायती दरों पर शिक्षा ऋण प्रदान कर रहा है।

मुझे आपको यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्त पोषण को उचित महत्व देते हुए भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष हेतु अपने बजट में नई कंपनियों के लिए इक्विटी, अर्ध-इक्विटी, सुगम ऋण और अन्य जोखिम पूंजी प्रदान करके निजी पूंजी आकृष्ट करने हेतु एक उप्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। रोजगार के सृजन में विनिर्माण क्षेत्र के बहुमुखी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार का लघु उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है। किसी नए संयंत्र और मशीनरी में 25 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली किसी विनिर्माण कंपनी के लिए 15 प्रतिशत की दर पर एक निवेश भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव है। तीन वर्षों अर्थात् मार्च, 2017 तक जो लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है उनसे निश्चित रूप से महिला उद्यमिता को भी अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार का भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख हितों की दृष्टि से सहायक कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

जहां तक महिलाओं का कारपोरेट बोर्ड और कार्यकारिणी समितियों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने तथा उन्हें सशक्त बनाने का मुद्दा है, मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि भारत में कारपोरेट क्षेत्र में बहुत कम महिलाएं वरिष्ठ पदों पर आसीन हैं। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 लागू होने के बाद, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में कम से कम एक महिला निदेशक होना अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि इससे महिलाओं के करियर के विकास के व्यापक अवसर पैदा होंगे, उन्हें कारपोरेट प्रमुख के स्तर तक पहुंचने में सहायता मिलेगी तथा इससे अन्य महिलाओं के लिए प्रबंधकीय पदों पर आसीन होने के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। यहां, मैं कारपोरेट क्षेत्र के शीर्षस्थ पदों पर कार्यरत महिलाओं के बीच सहयोग और परस्पर संवाद की आवश्यकता पर पुनः बल देना चाहूंगी जो कि वस्तुतः नेतृत्व की सफलता की आधारशिला है। अनौपचारिक परिवेश में नेटवर्किंग द्वारा उन्हें नए विचार, अन्तर्दृष्टि और समाधान खोजने में सहायता मिलेगी और इसके साथ उन्हें नए व्यासायिक गठबंधन तैयार करने का मंच सुलभ होगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिदेश के अनुसार सीआईआई को भी चाहिए कि वह अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता संबंधी संगत खंड को शामिल करे और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, इस संबंध में तैयारी चल रही है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि सीआईआई ने 2002 में ही राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की स्थापना कर दी थी जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं का पता लगाना तथा निचले स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं का सम्मान करना था। यह समिति वर्ष 2005 से एक वार्षिक सीआईआई अनुकरणीय महिला पुरस्कार प्रदान करती आई है और इन महिलाओं को सम्मानित किया है जिन्होंने निचले स्तर पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में विकास की पहल की है। इसके साथ-साथ, महिलाओं संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के आयोजन के अलावा सीआईआई विभिन्न अध्ययन कराने के कार्य में सक्रिय रूप से संलग्न है जिनका उद्देश्य महिलाओं को पेश आ रही उन कठिनाइयों को समझना है जिनसे उनका करियर प्रभावित हो रहा है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए सीआईआई विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में कार्यशालाओं के आयोजन के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के अनुकूल नीतियां अपनाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित कर स्थिति में सफलतापूर्वक बदलाव ला रहा है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों से प्रभावी ढ़ंग से निपटने में उद्योग जगत की भूमिका निश्चित करने के लिए सीआईआई ने 2013 में महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यदल का गठन भी किया है। मैं सीआईआई की सराहना करती हूं जिसने समय-समय

पर महिलाओं संबंधी मुद्दों पर महत्वपूर्ण विधायी और भागीदारी संबंधी उपायों के बारे में विभिन्न नीति विषयक आदानों पर भारत सरकार को सलाह देने वाले सहयोगी की भूमिका निभाई।

देवियो और सज्जनो, यह हर्ष का विषय है कि कामकाजी महिलाओं के सामने आने वाली समस्त समस्याओं के बावजूद भारत में महिला उद्यमियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत में महिलाएं एक शक्ति के रूप में उभरी हैं। मेरा दृढ विश्वास है कि सफलता पाने के लिए महिलाओं को चाहिए कि वे स्वयं पर विश्वास रखें और अनुकूल वातावरण तैयार करें। यह कार्य शिक्षा, निरंतर ज्ञानार्जन, परस्पर अनुभव बांटकर और एक दूसरे को सहयोग देकर तथा इन सबसे ऊपर महिलाओं के लिए सहायता संबंधी नेटवर्क बना कर किया जा सकता है। इस तरह परस्पर जुड़ने से अन्य महिलाओं के परामर्श और अनुभव का लाभ उन महिलाओं को मिल सकेगा जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एक समर्थ और सशक्त महिला को जब चाहे तब रोजगार मिल सकता है, किन्तु यदि वह उद्यमी बनती है तो वह अनेक लोगों को जीविका प्रदान कर सकती है। मैं भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा विशेष रूप से भारत में महिलाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाने हेतु किए जा रहे सभी प्रयासों के लिए उसे हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।

धन्यवाद।